पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 2240 / अका. / का.प / 2020 रायपुर, दिनांक 19 /02/2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की पचासवीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक 14.02.2020 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा – सदस्य
2. डॉ. संजय कुमार – सदस्य
3. डॉ. एस.के. जाधव – सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) प्रोमिला सिंह – सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल – सदस्य
6. डॉ. चन्द्रशेखर चौबे – सदस्य
7. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा – सदस्य
8. डॉ. बी.एल. तिवारी – सदस्य
9. श्री ललित सुरजन – सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 19.12.2019 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 19.12.2019 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

<u>गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

3. वर्ष 2019–2020 की परीक्षाओं के लिये गोपनीय मुद्रण के लिए मुद्रक के अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : वर्ष 2019–2020 की परीक्षाओं के लिये गोपनीय मुद्रण हेतु निम्नतम दर वाली संस्थान को विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र मुद्रण कार्य के लिए अनुबंध कराये जाने का अनुमोदन किया गया।

4. डॉ. विनोद कुमार गजभिये, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान को डी.लिट् की उपाधि प्रदान करने के संबंध में समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय : डॉ. विनोद कुमार गजभिये, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान को डी.लिट् की उपाधि प्रदान करने के संबंध में समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

5. विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 2979 / सा.प्रशा. / सू. अधिकार / 2006 रायपुर, दिनांक 11.05.06 की कंडिका क्रमांक 1(VII) को विलोपित किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 2979 / सा.प्रशा. / सू. अधिकार / 2006 रायपुर, दिनांक 11.05.06 की कंडिका क्रमांक 1(VII) को विलोपित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

6. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा, 2020 के लिए अनुचित साधन समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय : वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा, 2020 के लिए अनुचित साधन समिति के गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

7. वि.वि. फार्मेसी संस्थान हेतु क्रय की गई डेस्कटाप, प्रिंटर एवं स्केनर की देयक राशि रु. 5,76,000/– (पाँच लाख छिहत्तर हजार रुपए मात्र) की भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : **वि.वि. फार्मेसी संस्थान हेतु क्रय की गई डेस्कटाप, प्रिंटर एवं स्केनर की देयक राशि रु. 5,76,000/– (पाँच लाख छिहत्तर हजार रुपए मात्र) भुगतान करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।**

8. स्टेशनरी क्रय का देयक राशि रु. 5,31,650/– (पाँच लाख इकत्तीस हजार छः सौ पचास रुपए मात्र) भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : **स्टेशनरी क्रय का देयक राशि रु. 5,31,650/– (पाँच लाख इकत्तीस हजार छः सौ पचास रुपए मात्र) भुगतान करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।**

9. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के कार्यकाल बढ़ाए जाने का अनुमोदन करना।

निर्णय : **New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur द्वारा वि.वि. परिसर व भवनों में किये जा रहे सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिनांक 01.03.2020 से 31.08.2020 तक के लिए वृद्धि किये जाने का निर्णय किया गया।**

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. परीक्षा विभाग में उपाधि/अंकसूची सत्यापन, इंग्लिश मिडियम सर्टिफिकेट, प्रमाणीकरण, ट्रांस्क्रिप्ट, मैरिट सर्टिफिकेट, पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन को ऑनलाईन करने बाबत।

निर्णयः **परीक्षा विभाग में उपाधि/अंकसूची सत्यापन, इंग्लिश मिडियम सर्टिफिकेट, प्रमाणीकरण, ट्रांस्क्रिप्ट, मैरिट सर्टिफिकेट, पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन को छात्रहित में ऑनलाईन करने के लिए तथा पूर्व प्रचलित शुल्क को निम्नानुसार पुनरीक्षित किये जाने का अनुमोदन किया गया–**

क्र.	आवेदन हेतु	पूर्व निर्धारित शुल्क		पुनरीक्षित	
		सामान्य–स्थानीय पते के लिए	विदेश/मंत्रालय/एजेंसी/अन्य एजेन्सी को प्रेषण हेतु डाक व्यय सहित	केंद्रीय–राज्य मंत्रालय/एजेंसी/अन्य एजेन्सी को प्रेषण हेतु (स्थानीय डाक व्यय सहित)	विदेश प्रेषण हेतु डाक व्यय (अतिरिक्त)
1	सत्यापन (Verification) (संस्था के माध्यम से सत्यापन)	रू.400/– (प्रति अंतिम वर्ष/सेमे. अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र) –	रू.1900/–(प्रति अंतिम वर्ष/सेमे अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र) –	रू. 1000/–(प्रति अंतिम वर्ष/सेमे. अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र) –	$ 50 Dollar/ रू. 3500/-
2	इंग्लिश मिडियम सर्टिफिकेट	रू. 400/–	निर्धारण नही	रू. 1000/–	$ 50 Dollar/ रू. 3500/-
3	प्रमाणीकरण (ATTESTATION) (विद्यार्थी स्वंय आवेदक)	रू. 400/– (प्रति अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र)	–	रू. 1000/– (प्रति अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र)	$ 50 Dollar/ रू. 3500/-
4	ट्रांस्क्रिप्ट (विद्यार्थी स्वंय आवेदक)	रू. 250/– प्रति अंकसूची/उपाधि प्रमाण/प्रति सेट (ट्रांस्क्रिप्ट हेतु टायपिंग व्यय छात्र–छात्रा द्वारा अलग से वहन किया जावेगा।)	–	रू. 1000/– प्रति अंकसूची/उपाधि प्रमाण/प्रति सेट	$ 50 Dollar/ रू. 3500/-

8

5	प्रावीण्य (Merit) प्रमाण पत्र (विद्यार्थी स्वंय आवेदक)	रू 50/–	–	रू. 150/–	$ 50 Dollar / रू. 3500/-
6	पात्रता प्रमाण पत्र (विद्यार्थी स्वंय आवेदक)	रू.200/– (सामान्य शुल्क) रू.400/–(विलंब शुल्क के साथ)	–	रू.350/– (सामान्य शुल्क) रू.850/– (विलंब शुल्क के साथ)	$ 50 Dollar / रू. 3500/-

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

11. प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय : **चयन समिति की अनुशंसा पर प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर के लिये प्राचार्य हेतु Dr. Soumya Nayyar के नाम का अनुमोदन किया गया।**

प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

12. डॉ. रोहिणी प्रसाद द्वारा प्रोफेसर पद पर पदभार ग्रहण की सूचना एवं धारणाधिकार समाप्त किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

- **छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर के आदेश क्रमांक 112/9741/2019/रास/यू–9 दिनांक 06.01.2020 के द्वारा डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर को संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के कुलपति पद से छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 (3) के तहत हटाये जाने के फलस्वरूप तथा उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर के निर्देशों के अध्यधीन डॉ. प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र के आवेदन के आधार पर इस विश्वविद्यालय में अपने मूल पद पर दिनांक 13.01.2020 को पदभार ग्रहण करने की सूचना ग्रहण की गई।**
- **डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र का संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में कुलपति के पद पर चयन होने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रं. /3210/स्था./सा.प्रशा./2017 दिनांक 30.08.2017 के द्वारा दिए गए धारणाधिकार को समाप्त किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

13. डॉ. बंश गोपाल सिंह, प्रोफेसर, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के धारणाधिकार की अवधि में वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **राजभवन का पत्र क्र. एफ 1–5/2019/रास/यू.–6 दिनांक 03.02.2020 के परिपालन में डॉ. बंश गोपाल सिंह, कुलपति, पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के आवेदन दिनांक 03.02.2020 के अनुसार इन्हें प्रोफेसर, मनोविज्ञान के पद पर दिनांक 03.02.2020 से पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के नए कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक अथवा अधिकतम 6 माह वृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

14. डॉ. श्रीमती विजया कोचे, प्रोफेसर (वर्तमान में सेवानिवृत्त), जैविकी अध्ययनशाला के लघुकृत अवकाश स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. श्रीमती विजया कोचे, प्रोफेसर (वर्तमान में सेवानिवृत्त), जैविकी अध्ययनशाला को दिनांक 25.10.2019 से 29.01.2020 तक 97 दिन लघुकृत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई।**

15. डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदनानुसार इन्हें "राजनीतिक मंजूरी और विजा औपचारिकताओं के लिए विदेश मंत्रालय से कार्यवाही में देरी होने" के कारण पूर्व स्वीकृत (कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.11.2019) अध्ययन अवकाश दिनांक 15.01.2020 से 14.07.2020 के स्थान पर दिनांक 20.03.2020 से 19.09.2020 तक 06 माह की अध्ययन अवकाश स्वीकृति प्रदान की गई।**

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

16. रसायन अध्ययनशाला में UGC-SAP मद से उपकरण Automated Solvent extraction System क्रय करने राशि रु. 45.00 लाख (पैंतालिस लाख रुपए मात्र) का अनुमोदन करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **रसायन अध्ययनशाला में UGC-SAP-DRS-II ग्रांट के अंतर्गत Non-Recurring मद से स्वीकृत उपकरण Accelerated Automated solvent Extraction System का क्रय, proprietary आइटम एवं पेटेंटेड आइटम क्रय प्रक्रिया के तहत ThermoFisher India द्वारा जिसकी अनुमानित लागत रुपये 45.00 लाख (पैंतालीस लाख रुपए मात्र) में क्रय किया जाने का अनुमोदन किया गया।**

17. UGC-SAP-II- Chemistry grant के तहत Zetasizer उपकरण क्रय हेतु लागत 25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपए मात्र) की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **UGC-SAP-II- Chemistry grant के तहत Zetasizer उपकरण क्रय हेतु लागत 25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपए मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।**

बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

18. बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला के Staff Council के द्वारा Project fees under consultancy regulation के अंतर्गत प्राप्त शुल्क का वितरण के संबंध में लिए गये निर्णय का अनुमोदन करना।

निर्णय : **बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला के Staff Council के द्वारा Project fees under consultancy regulation के अंतर्गत प्राप्त शुल्क का वितरण के संबंध में लिए गये निर्णय का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :–**

Disbursement of Project Fee under Consultancy Project Regulation No. 170 Under the referred Regulation approved as per following heads:

1. 30% amount will be deposited to the University.
2. 30% amount will be utilized as contingency for chemicals, samples, etc., of School.
3. 30% amount will be utillized by faculty/ supervisor/investigator/ scientist.
4. 10% will be paid to staff clerk & lab technician, equally.

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

19. परीक्षा केन्द्र व्यय का भुगतान छात्र संख्या के आधार पर एक मुश्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : **परीक्षा केन्द्र व्यय का भुगतान छात्र संख्या के आधार पर एक मुश्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

20. नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) को परिनियम 32 में संशोधन किए जाने पर विचार करना।

निर्णय : **नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) को परिनियम 32 में निम्नानुसार संशोधन किए जाने का अनुमोदन किया गया :–**

1. छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्र. 809/एफ–2013–04–0000702/स्था./चार नया रायपुर दिनांक 23 जून 2016 के अंतर्गत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कर्मचारी हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) योजनांतर्गत माने जाएंगे। पूर्व में माननीय कार्यपरिषद् द्वारा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों को अंगीकृत किया गया है।
2. राज्य शासन के निर्देशानुसार अंशदायी पेंशन योजना में कर्मचारी + नियोक्ता अंशदान संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन छ.ग. शासन के माध्यम से PFRDA (Pension Fund Regulatory & Development Authorities) भेजा जावेगा।

3. वि.वि. द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू किए जाने हेतु NSDL & NPS Trust से अनुबंध किया जाना होगा।

4. अंशदान की कटौती:— मूल वेतन + महगाई भत्ता का 10 प्रतिशत होगा, कटौतियों का विवरण एन.एस.डी.एल. को प्रक्रिया अनुसार करना होगा एवं निर्धारित सेवा शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

5. नवीन अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत कर्मचारियों को आंशिक अंतिम विकर्षण वित्त निर्देश 58/2017 दिनांक 27.11.2017 के तहत स्वयं के अंशदान का 25 प्रतिशत आंशिक आहरण की पात्रता होगी एवं समय—समय पर छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप होगी।

वि.वि. यांत्रिकी से प्राप्त प्रस्ताव :—

21. विश्वविद्यालय परिसर में स्ट्रीट लाइट पोल लगाने एवं उनके LED Street light fittings लगाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय परिसर की सड़कों तथा आवश्यक स्थानों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु 100 नग स्ट्रीट लाइट पोल लगाने तथा उनमें एल.ई.डी. LED Street light fittings, किये जाने हेतु अनुमानित व्यय रु. 40,00,000/— (चालीस लाख रुपए मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।**

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 13.02.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 17.12.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :—

2. भवन निर्माण समिति की बैठक, दिनांक 06.02.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **भवन निर्माण समिति की बैठक, दिनांक 06.02.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

विधिक प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :—

3. विश्वविद्यालय अधिवक्ता पैनल के अधिवक्ताओं के शुल्क निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय अधिवक्ता पैनल के अधिवक्ताओं का मानदेय निर्धारण 10 वर्ष से अधिक हो गया है। अतः शुल्क निर्धारण हेतु 25% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। अतः अधिवक्ताओं के शुल्क 12000/— (बारह हजार रुपए मात्र) से 15000/— (पंद्रह हजार रुपए मात्र) किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

अनुदान प्रकोष्ठ विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :—

4. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत उपकरण क्रय किए जाने के टेंडर प्रक्रिया की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत उपकरण क्रय किए जाने के टेंडर प्रक्रिया की सूचना ग्रहण की गई।**

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :—

5. श्री के.पी. तिवारी का विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर संविदा सेवावृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 635/133/2019/38—2 दिनांक 27.05.2019 के द्वारा श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री (संविदा) की एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई वर्तमान संविदा सेवा अवधि की समाप्ति दिनांक 18.02.2020 को हो रही है।**

श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री (संविदा) की संविदा सेवा अवधि को दिनांक 19.02.2020 से एक वर्ष के लिए वृद्धि हेतु प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग रायपुर को भेजे जाने का अनुमोदन किया गया।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. 18वाँ छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस–2020 का आयोजन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ राज्य के युवा शोधकर्ताओं के अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से '18वाँ छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस–2020' का आयोजन दिनांक 25–26 मार्च 2020 को पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में आयोजन की सूचना ग्रहण की गई।**

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

1. विश्वविद्यालय के संशोधित विनियम क्रमांक–112 में प्रावधान की व्याख्या एवं सम्मिलित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय अकादमिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 3180/अका./2011 दिनांक 29.03.2011 के द्वारा संशोधित विनियम क्रमांक–112 में वर्णित प्रावधान की स्पष्ट व्याख्या एवं निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन किया गया –**

वर्तमान प्रावधान	प्रावधान की व्याख्या एवं सम्मिलित किया जाना है।	औचित्य
1. The Gold Medal shall be known as Pt. Ravishankar Shukla University Gold Medal effective from the Semester (2010) / Annual Examination (2004) 2. The University will award Gold Medal to the examinees at the annual convocation or the date fixed by the EC securing the First Position out of the examinees passed in the first division in the subject /classes in which the provision of Gold Medal does not exist in this Regulation. Provided that moment any donor institutes the Gold Medal in the Subject / Class concerned, the Pt. Ravishankar Shukla University Gold Medal will automatically be transferred in his/her name. 3. In the event of two or more examinee being eligible for the award under the provisions of para 2, all the examinees shall be awarded with the Medal Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur	1. जिन पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा ली जाती है (प्रश्न–पत्र रचना , मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम) उन्हीं पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थियों को प्रावीण्य सूची में सम्मिलित किया जाएगा। 2. विश्वविद्यालय के जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक एवं सेमेस्टर पद्धति से परीक्षा ली जाती है उन पाठ्यक्रमों में से केवल सेमेस्टर पद्धति (नियमित छात्र–छात्रा) के परीक्षार्थियों को प्रावीण्य सूची में सम्मिलित किया जाएगा। 3. प्रावीण्य सूची में किसी छात्र–छात्रा का नाम उसी स्थिति में सम्मिलित किया जाएगा जब छात्र–छात्रा किसी भी पाठ्यक्रम की पूर्ण परीक्षा इसी विश्वविद्यालय (स्वशासी महाविद्यालयों को छोड़कर) से प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की हो।	विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में वार्षिक एवं सेमेस्टर पद्वति से परीक्षा का आयोजन किया जाता है तथा विश्वविद्यालय के इन प्रत्यक्ष (प्रश्न–पत्र रचना , मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम) परीक्षाओं में सम्मिलित छात्र–छात्राओं को ही नियमानुसार स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में कई स्वशासी महाविद्यालय संचालित है जो स्वयं के नियम/प्रावधान अनुसार प्रश्न–पत्र रचना, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम घोषणा का कार्य सम्पादित करते है एवं अपने स्तर पर प्रावीण्य सूची घोषित करते है जिससे विश्वविद्यालय का प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होता है (केवल उपाधि प्रतिहस्ताक्षरित की जाती है)

2. पुनर्गणना पश्चात् उत्तर–पुस्तिका की छायाप्रति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : समन्वय समिति की 12वीं बैठक में लिये गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जारी विश्वविद्यालय अधसूचना क्रमांक 9029/अका./06, रायपुर दिनांक 04.08.2006 के अनुसार जो छात्र अपनी उत्तर–पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करना चाहते हैं, पर पुनर्मूल्यांकन की पात्रता न होने के कारण वे प्रावधानानुसार वंचित हो जाते हैं। अतः पुनर्गणना पश्चात् उत्तर–पुस्तिका की छायाप्रति प्रदान करने हेतु निम्नानुसार अनुमोदन किया गया –

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान	औचित्य
समन्वय समिति की 12वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के लिए जिन परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है वे पुनर्मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिकाओं की छायाप्रति विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्राप्त कर सकेंगे।	1. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन (जिस विषय में पुनर्गणना/ पुनर्मूल्यांकन कराया गया हो) के पश्चात छात्रों को स्वयं की उत्तर–पुस्तिका की छाया–प्रति प्रदान किया जाय। 2. उत्तर–पुस्तिका की छाया प्रति हेतु वर्तमान में पुनर्मूल्यांकित उत्तर– पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति हेतु प्रति उत्तर–पुस्तिका निर्धारित दर अनुसार दिया जाए। 3. उत्तर–पुस्तिका की छाया प्रति हेतु छात्र परिणाम घोषणा के 15 दिवस के अंतर्गत पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने के साथ–साथ उत्तर– पुस्तिका हेतु आवेदन करेगें। जो छात्र पुनर्मूल्यांकन परिणाम पश्चात उत्तर– पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए पूर्ववत नियम लागू रहेंगे।	ऐसे छात्र जो पुनर्मूल्यांकन हेतु पात्र नहीं होते हैं वे स्वयं की उत्तर–पुस्तिका प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। अतएव पारदर्शिता एवं छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्गणना के पश्चात भी छात्र को स्वयं की उत्तर–पुस्तिका की छाया प्रति प्रदान किया जाना उचित होगा।

3. श्री जन्मेजय सोना, अधिवक्ता को विश्वविद्यालय का विधिक सलाहकार हेतु प्रतिमाह राशि रु. 6,000/– (छः हजार रुपए मात्र) एवं खर्च हेतु 1500/– (पंद्रह सौ रुपए मात्र) प्रति प्रकरण निर्धारण किये जाने की विश्वविद्यालय का आदेश क्रमांक 2284/विधिक/2019 दिनांक 23.11. 2019 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

4. 25वाँ दीक्षांत समारोह के संबंध में विचार करना।

निर्णय : 25वाँ दीक्षांत समारोह दिनांक 26 फरवरी, 2020 को आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया। 25वाँ दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि ख्यातिलब्ध साहित्यकार, श्री अशोक वाजपेयी, नई दिल्ली होंगे। दीक्षांत समारोह के लिये बजट 24वें दीक्षांत समारोह के बजट के प्रावधानानुसार किये जाने का अनुमोदन किया गया।

5. अनुदान प्रकोष्ठ/रूसा के इम्प्रेस्ट की राशि 5000/– (पांच हजार रुपए मात्र) के स्थान पर 10000/– (दस हजार रुपए मात्र) किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुदान प्रकोष्ठ/रूसा के इम्प्रेस्ट की राशि 5000/– (पांच हजार रुपए मात्र) के स्थान पर 10000/– (दस हजार रुपए मात्र) किये जाने का अनुमोदन किया गया।

6. संचालक शारीरिक शिक्षा विभाग, कोटा स्टेडियम के विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि 10000/- (दस हजार रुपए मात्र) के स्थान पर 20000/- (बीस हजार रुपए मात्र) किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : संचालक शारीरिक शिक्षा विभाग, कोटा स्टेडियम के विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि 10000/- (दस हजार रुपए मात्र) के स्थान पर 20000/- (बीस हजार रुपए मात्र) किये जाने का अनुमोदन किया गया।

7. यांत्रिकी विभाग के इम्प्रेस्ट राशि में वृद्धि के संबंध में विचार करना –

(1) श्री जोहन राम ठाकुर, उपयंत्री (विद्युत) – 10000/- से 25000/- (विद्युत, जलप्रदाय एवं बढ़ई अनुरक्षण कार्य हेतु)

(2) श्री राजेश प्रसाद सलोकी, सेनेटरी निरीक्षण – 10000/- से 25000/- (सेनेटरी सुधार कार्य)

(3) श्री रुपेश शर्मा, उपयंत्री (सिविल) – 25000/- (सिविल सुधार मरम्मत कार्य हेतु)

निर्णय :यांत्रिकी विभाग की इम्प्रेस्ट राशि का निम्नानुसार वृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया –

(1) श्री जोहन राम ठाकुर, उपयंत्री (विद्युत) – 10000/- से 20000/- (विद्युत, जलप्रदाय एवं बढ़ई अनुरक्षण कार्य हेतु)

(2) श्री राजेश प्रसाद सलोकी, सेनेटरी निरीक्षण – 10000/- से 20000/- (सेनेटरी सुधार कार्य)

(3) श्री रुपेश शर्मा, उपयंत्री (सिविल) – 20000/- (सिविल सुधार मरम्मत कार्य हेतु)

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 2241/अका./का.प/2020 रायपुर, दिनांक 19/02/2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)